न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी – श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस.

मु0 नं0 – 11/2017
प्रकरण दर्ज – 10.1.2017
प्रकरण निस्तारण – 10.12.2019

अनुवानी प्रकरण

1. कन्हैयालाल पुत्र हरदान
2. मोहनलाल पुत्र हरदान
3. परसुराम पुत्र हरदान
   समस्त जाति बैरवा निवासी रामगढ तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।

—वादीगण

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र मांगीलाल
2. धनश्याम पुत्र मांगीलाल
3. दिनेश पुत्र मांगीलाल
4. लक्ष्मीदेवी पत्नी मांगीलाल
5. मोहनलाल पुत्र भगवान सहाय
6. हीरालाल पुत्र प्रभाती
7. नत्थी पत्नी प्रभाती
   समस्त जाति बैरवा निवासी रामगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
8. विमला पुत्री प्रभाती जाति बैरवा निवासी भण्डारी तहसील सिकराय जिला दौसा।
9. गोकुल पुत्र मन्डू
10. दुर्गा पुत्र मन्डू
11. जगन पुत्र मन्डू
12. सुखराम पुत्र मन्डू
13. राजेश पुत्र बिशन
14. सीताराम पुत्र बिशन
15. मनोज पुत्र बिशन
16. पंकज पुत्र बिशन
    समस्त जाति बैरवा निवासी रामगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
17. केशन्ती पुत्री बिशन जाति बैरवा निवासी राजवास तहसील सिकराय जिला दौसा।
18. राजबाई पुत्री बिशन जाति बैरवा निवासी कान्दोली तहसील सिकराय जिला दौसा।
19. घम्मन पुत्र मन्डू जाति बैरवा निवासी रामगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
20. राधा पुत्री मन्डू जाति बैरवा निवासी अचलपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
21. भरतसिंह पटवारी हल्का बैराडा तहसील सिकराय जिला दौसा।
22. राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।
23. उप पंजीयक सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला–दौसा

निर्णय   दिनांक –10.12.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि ग्राम रामगढ तहसील सिकराय मे स्थित आराजी खसरा नंबर 765, 769, 779, 780, 781 कुल किता 5 कुल रकबा 1.20 है0 स्थित है। जो वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। एवं वादीगण का भाई यादराम के नाम भी दर्ज है जो कि फौत हो गया जिसका कोई वारिस नही है इस कारण यादराम को पक्षकार नही बनाया गया है। वादीगण के पिता हरदान के नाम खातेदारी खसरा नंबर 207 की खातेदारी थी जिसका मिन नंबर 207/1 व 207/1/2 बनाया गया। वादीगण के पिता की खातेदारी पासबुक मे खसरा नंबर 207/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा दर्ज है। खसरा नंबर 207 अंकित है। उसमे खसरा नंबर 207/1 दर्ज नही हैं इस प्रकार खसरा नंबर 207 वादीगण के पिता की खातेदारी की भूमि रही है जिसकी स्थिति नक्शा मे ऑन रोड है। यह रामगढ से नादौती जाता है परन्तु अब वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 5 व 6 लगायत 8 के पिता व प्रतिवादी 9 लगायत 18 के पिता व प्रतिवादी 19 व 20 ने रेवेन्यू अधिकारियों से फर्जी तरीके से बेईमानी पूर्वक पटवारी जो कि प्रतिवादी संख्या 21 से मिलकर तथा उस समय के सैटलमेंट अधिकारी से मिलकर वादीगण के खसरा नंबर 768 है0 को परिवर्तन करवाके 769 जमाबन्दी मे करवा दिया तथा खसरा नंबर 768 पुराने खसरा नंबर 207 का नवीननंबर है जो वादीगण का है। खसरा नंबर 769 पुराने खसरा नंबर 207/1/2 का नवीन नंबर है। खसरा नंबर 207 के नवीन नंबर 268 जिसकी नक्शे मे स्थिति हरदान के नाम दर्ज खातेदारी मेल खाती है। पास बुक मे खसरा नंबर 207 दर्ज किया है वर्तमान मे जो नक्शा ट्रेस है उसमे खसरा नंबर 768 की स्थिति हूबहू खसरा नंबर 207 से मेल खाती है जो वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 20 ने अवैध लाभ लेने व ऑन रोड की भूमि हडपने की नीयत से छल पूर्वक आशय रखते हुये उस वक्त के सैटलमेंट अधिकारी व प्रतिवादी संख्या 21 से मिलकर वादीगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से फर्जी कार्यवाही करवा ली है। प्रतिवादीगण वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 768 से बेदखल करना चाहते हैं। क्योंकि उक्त भूमि सडक से लगी हुई है। वादीगण के पिता की भूमि जो खसरा नंबर 207 पास बुक मे दर्ज है एवं पास बुक मे नक्शा भी है। शमशान के पास स्थित है। अब जो खसरा नंबर 769 वादीगण के नाम परिवर्तित किया है वह शमशान भूमि से काफी दूर है। खसरा नंबर 205 व 207 पुराने जो नंबर हैं वे दोनो मिलकर बिल्कुल पास पास स्थित हैं। नवीन नक्शा ट्रेस मे वादीगण को जो नंबर दिये हैं खसरा नंबर 205 व 207 के बिल्कुल पास पास होने चाहिये थे किन्तु प्रतिवादीगण ने रेवेन्यू रिकार्ड मे परिवर्तन करवाकर वादीगण को खसरा नंबर 769 देकर पूर्व की स्थिति मे कतई परिवर्तन कर दिया है एवं खसरा नंबर 205 के काफी दूर वादीगण की जमीन खसरा नंबर 769 अंकित की गई है। वादीगण दुरूस्ती कराने के अधिकारी हैं।

इस प्रकार दावा दर्ज होने पर प्रतिवादीगण की तलवी की गई प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,7,9,10,14,11,12,19 स्वयं उपस्थित आये शेष बावजूद तामील उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 25.4.2017 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गइ। पत्रावली साक्ष्य वादी मे नीयत की गई। साक्ष्य वादी मे वादीगण ने साक्ष्य पी.डब्लू. 1 कन्हैयालाल, पी.डब्लू 2 मोहनलाल के शपथ पत्र बतौर साक्ष्य पेश किये। वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला–दौसा

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात नकल जमाबन्दी नया व पुराना नक्शा , मिलान क्षेत्रफल व पास बुक की फोटोप्रति के आधार पर वादीगण का वाद साबित नही होता है। विवादित भूमि पर वादीगण का कोई हक प्रमाणित नही होता है। वादीगण अपने हक मे विवादित भूमि की उद्घोषणा एवं दुरूस्ती अपने हक मे कराने के अधिकारी नही हैं। ऐसी स्थिति मे वाद वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

अ 10/12/19

हरिताभ कुमार आदित्य

उपखण्ड अधिकारी सिकराय।

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 312402

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा) मुकाम

ब इजलास श्री हरिताभ कुमार आदित्य (R.A.S)

1. कन्हैयालाल पुत्र हरडान
2. मोहनलाल पुत्र हरडान
3. परसुराम पुत्र हरडान
कस्बा नि. रामगढ तह सिकराय दौसा
—वादीगण

बनाम 1. मनोज कुमार पुत्र मांगीलाल ॥ — प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व दुरस्ती

मुकद्दमा नं. 11 सन् 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू नरेन्द्र प्रताप सिंह एड. वादी

व हाजिरी — मिनजानिब मुद्दई रूबरू —

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः दावा वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग बाबत

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी [illegible]ना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.12.19 माह सन् को

जारी की गई।

दस्तखत [signature] 10/12/19
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा
ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प [illegible]ह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, [illegible] करना चाहिए।

(2)

2. धनश्याम पुत्र मोंगीलाल
3. दिनेश पुत्र मोंगीलाल
4. लक्ष्मीदेवी पत्नी मोंगीलाल
5. मोहनलाल पुत्र भगवान सहाय
6. हीरालाल पुत्र प्रकाशी
7. नाथी पत्नी प्रकाशी बैरवा नि० रामगढ़
8. निमला पुत्री प्रकाशी बैरवा नि० मण्डावरी
9. गोकुल पुत्र मन्डू
10. दुर्गा पुत्र मन्डू
11. भगत पुत्र मन्डू
12. सुखराम पुत्र मन्डू
13. राजेश पुत्र किशन
14. सीताराम पुत्र किशन
15. मनोज पुत्र किशन
16. पंकज पुत्र किशन बैरवा नि० रामगढ़
17. केशन्ती पुत्री किशन बैरवा रामवास त० सिकराय
18. राजभोर पुत्री किशन बैरवा नि० कालोली
19. धर्मान पुत्र मन्डू बैरवा नि० रामगढ़
20. राधा पुत्री मन्डू बैरवा नि० अचलपुरा
21. भरतसिंह पटवारी हल्का बैराडा त० सिकराय
22. राज० सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सिकराय
23. उप पंजीयक सिकराय जिला दौसा

— प्रतिवादीगण

3/10/12/19

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Date: 2019.12.12 17:31:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: